

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल,

क्रमांक 10 अ-82 / 16-17 / भू-अर्जन / ५८०३ बैतूल दिनांक ०४- 05-18  
प्रति,

संचालक,  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,  
भोपाल (म0प्र०) ।

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण की रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

विषयान्तर्गत म0प्र० भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के तहत ग्राम केलापुर तहसील बैतूल जिला बैतूल के 08 कृषकों की 0.867 हेक्टर भूमि रेल्वे तीसरी लाईन हेतु अर्जन के सम्बंध में सामाजिक समाधात रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है ।

अतएव संलग्न सामाजिक समाधात रिपोर्ट दिनांक 30.12.2017 का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशन की प्रतियां कृपया इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

( शशांक मिश्र )  
कलेक्टर  
बैतूल

पृ०क० 10 अ-82 / 16-17 / भू-अर्जन / ५८०३ बैतूल दिनांक ०४ - 05-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें ।
- 2- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं एक प्रति वापस भेजना सुनिश्चित करें ।
- 3- उप मुख्य अभियन्ता, निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) को अग्रेषित उक्त प्रकाशन की प्रतियां प्राप्त करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
- 4- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा कराई जाकर वापस भेजना सुनिश्चित करें ।
- 5- एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 6- ग्राम पंचायत केलापुर तहसील बैतूल जिला बैतूल का प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर ०३८०८  
बैतूल

**प्ररूप— ख**  
**(नियम 5 देखिए)**  
**सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट**

- 1— परियोजना का नाम
  - 2— लोक प्रयोजन
  - 3— स्थल
  - 4— परियोजना का क्षेत्र
  - 5— विकल्प जिन पर विचार किया गया
  - 6— परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता
  - 7— परियोजना निर्माण के चरण
  - 8— परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
  - 9— परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
  - 10—भूमि का मूल्य
  - 11—प्रभावित परिवारों की संख्या
  - 12—परिसम्पत्तियां:—  
 लोक सम्पत्ति भूमि निरंक है. भवन निरंक अन्य  
 निजी सम्पत्ति भूमि 0.867 है. भवन निरंक अन्य
  - 13—विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या  
 जिनकी भूमि अर्जित हुई
  - 14—सामाजिक समाधात  
 (क) समाधातों का विवरण
  - 15—विकल्प जिन पर विचार किया गया  
 (क) यदि हाँ— तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? — लोक प्रयोजन हेतु  
 (ख) यदि नहीं— तो क्यों ?
- निष्कर्ष :—
- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
  - (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
  - (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं
  - (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
  - (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
  - (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

*C/S*  
 (सदस्य)  
 अधिवक्ता  
*अर्जन करने वाले*  
*परियोजना के लिए*

*N.S.*  
 (सदस्य)  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 पी.डब्ल्यू.डी.बैतूल  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 नीति विज्ञान एवं सामाजिक  
 विकास विभाग  
 बैतूल (म.प.)

*W.P.*  
 (अध्यक्ष)  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 (राजस्व) बैतूल  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 बैतूल (म.प.)  
 15/12/17